कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–1/डी.बी.(PIL)संख्या 8053/19 डॉ. चेतना यादव बनाम सरकार व अन्य/19 दिनांक : 24 01/20

शासन उप सचिव–प्रथम
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए अद्यतन स्थिति भिजवाने के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक प.4(4)शिक्षा–1/कम्प्यूटर/2019 पार्ट 2 जयपुर, दिनांक : 10.02.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए अद्यतन स्थिति एवं वांछित प्रस्ताव निम्नानुसार है–

<u>कम्प्यूटर शिक्षक के पद की आवश्यकता</u> :–

- कक्षा 9 एवं 10 के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है। कक्षा – 9 एवं 10 में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाकर उक्त दोनों कक्षाओं के लिए पुस्तकें क्रमशः "सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा–I" तथा "सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा– II" के नाम से उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत 70 प्रतिशत अंकभार सैद्धान्तिक एवं 30 प्रतिशत अंकभार प्रायोगिक कार्य हेतु प्रदान किया गया है।
- कक्षा 11 एवं 12 में कम्प्यूटर विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में ली जा सकती है। कक्षा 11 एवं 12 में तीसरे वैकल्पिक विषय के रूप में क्रमशः "सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग– I " तथा "सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग– II "के नाम से बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें उपलब्ध करवाई है। वैकल्पिक विषय का चयन तीनों संकायों के लिये किया जा सकता है तथा कालांश भार एवं अंकभार भी अन्य वैकल्पिक विषयों के समान होते हैं।
- विद्यालयों में ऑनलाईन पोर्टल यथा शालादर्पण, शाला सिद्धि, यू–डाईस, शगुन, पे–मेनेजर आदि का नियमित उपयोग होता है, जिसे किसी विषय के अध्यापक को इस कम्प्यूटर कार्य में अपना समय देना होना होता है, जिससे उसका स्वयं का आवंटित कार्य प्रभावित होता है।
- कक्षा 1 से 8 तक कम्प्यूटर विषय के रूप में तो संचालित नही है परन्तु विद्यार्थियों में कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना उचित है। शिक्षण में कम्प्यूटर के उपयोग से शिक्षण को प्रभावी एवं सहज बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों मे कम्प्यूटर के व्यवहारिक ज्ञान हेतु समय–समय पर कम्प्यूटर से सीखने की योजनाएँ यथा "क्लिक (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना" तथा कल्प (CALP) योजना उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु लागू की गई। वर्तमान समय में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी भी तकनीकी का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में करते हैं। इसलिए विषयों के शिक्षण में सहजता एवं कौशल निर्माण के लिए कम्प्यूटर उपयोगी होता है।
- अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं के तहत कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गये हैं, जैसे आईसीटी, कल्प, क्लिक आदि। आईसीटी योजना के फेज पूर्ण होने पर सेवाप्रदाता फर्म द्वारा उक्त कम्प्यूटर लैब मय कम्प्यूटर सैट विद्यालयों को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में इनका पूर्ण यथोचित उपयोग नहीं हो पाता है। आई.सी.टी. योजना के तहत सात चरण के अन्त तक लगभग 10739 माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों मे आई.सी.टी. लैब स्थापित की गई है।

<u>नोट</u> :– विज्ञान संकाय के अन्य विषयों की प्रयोगशालाओं की तरह कम्प्यूटर प्रयोगशाला के रख–रखाव (MAINTENANCE) के लिये वर्तमान में नियमित आवर्तक (RECURRING) बजट का प्रावधान नहीं है।

विभागीय प्रस्ताव – <u>नियमित कम्प्यूटर शिक्षक के कैडर का प्रावधान</u> –

- प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक कम्प्यूटर शिक्षक का प्रावधान होना चाहिए, जो कि तकनीकी योग्यता धारित हो। यह कम्प्यूटर शिक्षक कक्षा 9 एवं 10 में कम्प्यूटर शिक्षण का कार्य करेगा तथा विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्यों तथा कम्प्यूटर लैब का प्रभारी होगा। अतः भर्ती नियमों में कम्प्यूटर शिक्षक का पद संवर्गित करना तथा पद सृजन हेतु मानदण्ड का निर्धारण करना निम्नानुसार प्रस्तावित है–

Scanned with CamScanner
Scanned by CamScanner

पदों के सृजन एवं आवश्यकता हेतु प्रस्तावित मानदण्ड

पदनाम	पदों की संख्यात्मक आवश्यकता	विवि
कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड तृतीय	10985 विद्यालयों में	कुल 14601 में से 3616 विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का कुल नामांकन 120 से अधिक है।
कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड द्वितीय	3616 विद्यालयों में	—
व्याख्याता कम्प्यूटर शिक्षा	वर्तमान में शून्य	वर्तमान में तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान आवंटित नहीं है।

नोटः— नवीन विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड तृतीय का पद स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के क्रम में कम्प्यूटर शिक्षक के पद सृजन हेतु मानदण्ड एवं योग्यता के प्रारंभिक प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय

(सौरव स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः— 1. अनुभागाधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांकः शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय. 29841/डी/2019/36 दिनांक : 31.01.2020 के क्रम में।
2. अनुभागाधिकारी, वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांकः— शिविरा/माध्य/वरिष्ठता/के–4/कम्प्यूटर/के–4/कम्प्यूटर/2020/दिनांक : 11.02.2020 के क्रम में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुभागाधिकारी, संस्थापनः एफ अनुभाग, कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamSca

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित कैडर

- कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड तृतीय श्रेणी

भर्ती का तरीका – शत प्रतिशत सीधी भर्ती।

योग्यता :–

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रोद्योगिकी में स्नातक योग्यता (B.E. in Computer Science, B.Tech in Computer Science, B.E. in Information Technology, B.Tech in Information Technology, B.Sc. in Computer Science, B.Sc. in Information Technology, Bachelor in Computer Application)

कार्यक्षेत्र – राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय।

कार्य – कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैब का प्रभार तथा संस्थाप्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य।

- कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड द्वितीय

भर्ती का तरीका – 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति।

योग्यता :–

सीधी भर्ती हेतु

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रोद्योगिकी में स्नातक योग्यता (B.E. in Computer Science, B.Tech in Computer Science, B.E. in Information Technology, B.Tech in Information Technology)

पदोन्नति हेतु

उपर्युक्त सीधी भर्ती की योग्यता के अतिरिक्त, कम्प्यूटर शिक्षक तृतीय श्रेणी के रूप में कार्य करने करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव पर वरिष्ठता से।

कार्यक्षेत्र – राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां कक्षा 9 एवं 10 का नामांकन 120 से अधिक है।

कार्य – कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैब का प्रभार तथा संस्थाप्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य।

- कम्प्यूटर विज्ञान व्याख्याता स्कूल शिक्षा

भर्ती का तरीका – 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति।

योग्यता :–

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर योग्यता (M.E. in Computer Science, M.Tech in Computer Science, M.E. in Information Technology, M.Tech in Information Technology, Master in Computer Application(MCA))

पदोन्नति हेतु

उपर्युक्त सीधी भर्ती की योग्यता के अतिरिक्त, कम्प्यूटर शिक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप में कार्य करने करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव पर वरिष्ठता से।

कार्यक्षेत्र – राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां किसी संकाय में तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान संचालित हो। अतिरिक्त वैकल्पिक विषय का पद सृजन केवल स्टाफिंग पैटर्न मानदण्ड के अनुसार होगा।

कार्य – कक्षा 09 –12 में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाईन कार्य तथा कम्प्यूटर लैब के प्रभारी के रूप में कार्य तथा संस्थाप्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य।

Scanned with CamScar

Scanned by CamScanner